मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

सेठ बालिकशन नथानी और अन्य
(न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव, न्यायमूर्ति रघुबर दिवस, और
न्यायमूर्ति जे. आर. मुधोलकर)

भूमि सुधार-शाश्वत पट्टे का निष्पादन और पश्चातवर्ती राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियाँ-पट्टेदार के रूप में मान्यता और उपायुक्त भूमि सुधार द्वारा मूल्यांकन का निपटान- निस्तार अधिकारी द्वारा अभिलेखों को सुधारने और उपायुक्त के आदेशों को फिर से खोलना-क्षेत्राधिकार-मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, पृथक भूमि) अधिनियम, 1950 (मध्य प्रदेश 1951 का 1), एस. एस. 3 (2), 4 (2), 13 (1), 15 (1), 40 - केन्द्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1947 (1947 का सी. पी. अधिनियम //) एस. एस. 45 (1) (2) (4), 46, 47 (1) (2).

दोनों-अपीलों में प्रत्यर्थी संख्या 1 दो मौजों का मालिक और लम्बरदार था। उसने अन्य प्रत्यर्थीगणों के पक्ष में शाश्वत पट्टों को निष्पादित किया। एक मौजा के संबंध में बाद के वार्षिक पत्रों में मौज़ा में मौज़ा को प्रत्यर्थीगण 2 और 4 से 6 के अधिभोग किरायेदारी स्वामित्व के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थीगण 2 से 6 के नाम पर अन्य मौज़ा के संबंध में इसी तरह का अभिलेखबद्ध किया गया था। इसके पश्चात मध्य

प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, पृथक भूमि) अधिनियम, 1950 लागू हुआ और अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी 1 की संपत्ति को अधिसूचित किया गया था। अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्य करने वाले उपायुक्त भूमि सुधार ने प्रत्यर्थी को पट्टेदार के रूप में मान्यता दी और पहले के मौज़ा के संबंध में उसके द्वारा देय मूल्यांकन का फैसला किया। इसके बाद निस्तार अधिकारी ने धारा 40 के तहत किए गए पहले के आदेश को फिर से खोलने के उद्देश्य से प्राने वार्षिक पत्रों में सुधार के लिए कार्यवाही शुरू की। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आपति जताई कि निस्तार अधिकारी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है जिसे अस्वीकार कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया। दूसरे मौज़ा के संबंध में निस्तार अधिकारी ने आदेश दिया कि प्रतिवादी 1 द्वारा किया गया हस्तान्तरण फर्जी था और यह कि जमींदार उस भूमि पर खेती नहीं कर रहा था। इसके पश्चात प्रत्यर्थीगणों ने निस्तार अधिकारी के उक्त दो आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की। उच्च न्यायालय ने माना कि निस्तार अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 15 (3) के तहत या केन्द्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1917 की धारा 47 (1) तहत कोई शक्ति नहीं थी। वर्तमान अपील विशेष अनुमति के माध्यम से हैं।

इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि (1) भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 47 (1) के तहत निस्तार अधिकारी के पास पूर्व के वर्षों में की गई प्रविष्टियों में बाद के वर्ष में गलती के आधार पर सुधार करने का अधिकार था और (2) उक्त अधिकारी को अधिनियम की धारा 15 (3) के तहत समीक्षा करने का अधिकार था। तत्पश्चात धारा 40 के तहत आदेश जारी किया गया।

यह माना गया कि, धारा 40 के तहत उपायुक्त द्वारा दिये गये आदेश के सन्दर्भ में न तो धारा 13 न ही धारा 15(3) से कोई प्रासंगिकता है।

केन्द्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 47(1), गलती के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार को सम्मिलित नहीं करता है।

मंगलू बनाम राजस्व बोर्ड, आई. एल. आर. 1954 नाग. 143 , मंजूर किया गया।

निस्तार अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 40 के तहत पहले से बंद मामले को फिर से खोलने की दृष्टि से प्रविष्टियों को सही करने का कोई अधिकार नहीं है।

सिविल अपील न्यायनिर्णयः की दीवानी अपीलें नं. 370 एवं 371/ 1960

विविध रिट याचिका संख्या 22 तथा 1955 के 274 मेंं नागपुर के पूर्व उच्च न्यायालय (वर्तमान में जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय) के 8 मार्च, 1956 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमित द्वारा अपील।

अपीलार्थियों के लिए बी. सेन और आई. एन. श्रॉफ।

प्रत्यर्थीगण 2 से 6 हेतु जी. बी. पाई, जे. बी. दादाचंजी, रविंदर नारायण

30 जनवरी, 1963 न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने दिया।

उक्त दो अपीलें प्रत्यर्थीगण 1 व 3 से 6 द्वारा इस न्यायालय में नागपुर उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा 1955 की रिट संख्या 22 तथा 1955 की रिट संख्या 274 में दिए गए समन्वित निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा दायर की गई है।

शुरूआत में 1960 की अपील संख्या 370 के तथ्य वर्णित किए जा सकते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1, सेठ बालिकशन नथानी, तहसील और जिला रायपुर में मौज़ा सोनपाईरी के मालिक और लम्बरदार थे। 14 जनवरी, 1947 को उन्होंने अपनी पत्नी वशोदा बाई, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी और प्रत्यर्थीगण 4, 5 और 6 के पक्ष में मौजा सोनपारइरी की खुदकाश्त और घास भूमि के संबंध में शाश्वत पट्टे निष्पादित किए।वर्ष 1946-47 की

तबदीली जमाबंदी में उक्त भूमि उक्त प्रत्यर्थीगण 4 से 6 और प्रत्यर्थी 2, वशोदाबाई के कानूनी प्रतिनिधि गोविंदलाल नाथानी की अधिभोग

किरायेदारी होल्डिंग्स के रूप में दर्ज की गई थी। बाद के वर्षों की जमाबंदियों में भी यही प्रविष्टि पाई गई। मध्य प्रदेश स्वामित्व अधिकार उन्मूलन (संपदा, महल, पृथक भूमि) अधिनियम, 1956 (1951 का 1), जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाएगा, 22 जनवरी, 1951 को लागू हुआ। इसके पश्चात, उचित समय पर उक्त मालिक की संपत्ति को अधिनियम की धारा 3 के तहत विधिवत अधिसूचित किया गया। 25 मार्च, 1952 को उपायुक्त, भूमि सुधार ने अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्य करते हुए, उक्त बालिकशन नाथानी को पट्टेदार के रूप में मान्यता दी और मौजा सोनपारइरी के खसरा संख्या 289/2 और 366/7 के संबंध में उनके द्वारा देय मूल्यांकन का निपटान किया। उस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई। इसके पश्चात, अपीलार्थी संख्या 2, निस्तार अधिकारी सह अतिरिक्त उपायुक्त, रायपुर ने मौजा सोनपारइरी में पुराने वार्षिक कागजात के सुधार के लिए प्रत्यर्थी के खिलाफ कार्यवाही शुरू की, अधिनियम की धारा 40 के तहत किए गए पहले के आदेश को पुनः खोलने की दृष्टि से, जैसा कि पिछला आदेश वर्ष 1946-47 और उसके बाद के वर्ष की तब्दिली जमाबंदी में पाई गई प्रविष्टियों के आधार पर पारित किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1, सेठ बालिकशन नाथानी ने आपित उठाई कि अपीलार्थी संख्या 2 के पास कार्यवाही शुरू करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। संख्या 2 ने आपित को खारिज कर दिया और निम्नलिखित आदेश दिया:

"अगली सुनवाई में खेती को साबित करने के लिए पांच गवाहों को पेश किया जा सकता है। खरीददारों के नाम, जिन्हें जमीन बेची गई है, पटवारी से प्राप्त किए जाए और उन्हें एक नोटिस दिया जाए कि वे अपना बयान दर्ज करवाने के साथ ही विक्रय-पत्र भी साथ लाने चाहिए। सुनवाई की तारीख 4-8-1954 तय की गई। अनावेदक अन्य साक्ष्य दाखिल कर सकते हैं, जिन्हें वे दाखिल करना चाहते हैं।"

उक्त आदेश से यह देखा जाएगा कि दूसरे अपीलार्थी ने खेती के तथ्य के साथ-साथ बिक्री-कर्मों की वैधता के संबंध में पूछताछ करने का इरादा किया था, जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अन्य प्रत्यर्थीगणों के हित उत्पन्न किए थे। प्रत्यर्थी ने उस आदेश के खिलाफ राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश में अपील की, लेकिन उसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि यह अपरिपक्व थी। इसके बाद, प्रत्यर्थीगणों ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1955 की रिट याचिका संख्या 22 दायर की।

1960 की सिविल अपील संख्या 371 तहसील व जिले रायपुर के मौजदा कचना की पट्टी संख्या 1 से संबंधित है। प्रत्यर्थी संख्या 1 उक्त मौजा का मालिक और लंबरदार था। 19 फरवरी, 1948 को, कथित सेठ बालिकशन नाथानी ने अन्य अपील की तरह उन्हीं प्रत्यर्थीगणों के पक्ष में उक्त भूमि के संबंध में शाश्वत पट्टे निष्पादित किए। वार्षिक कागजात में उक्त भूमि को प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 6 की अधिभोग किरायेदारी होल्डिंग्स के रूप में दर्ज किया गया था। 8 दिसंबर, 1954 को, अपीलार्थी संख्या 2 ने उक्त भूमि का निरीक्षण किया और 9 दिसंबर, 1954 को निम्नलिखित आदेश दिया:

"XXXXXXXXX

- सरकारी दस्तावेजों-खसरा, जमाबंदी और तबदीलत में स्पष्ट गलितयाँ पाई गईं। मेरे द्वारा पटवारी पत्रों में छोड़ी गई (खोजी गई)
 तुटियों को सुधार दिया गया है।
- 3. पूर्व मालिक (1) बालिकशन नाथानी और अन्य तथा (2) नारायणराव ने अपने परिवार के सदस्यों के पक्ष में बिल्कुल फर्जी हस्तांतरण किए, नामित

नाथानी परिवार की पहला (ए) कमलाबाई, (बी) पाना बाई, (सी) यशोदा बाई, (डी) छोटी बाई।

- (ii) पूर्व मालिक नारायणराव की पत्नी कमला बाई चिटनवीस।

 पटवारी ने भूमि रिकॉर्ड मैनुअल, वॉल्यूम 1 के खिलाफ खेती और
 कृषि कब्जे के बिना नाम दर्ज किए।
- 4. मेरे द्वारा मौके पर निरीक्षण के बाद पटवारी रिकाॅर्ड में पाई गई त्रुटियों को सुधार लिया गया है। ये कागजात अब दाखिल किए जाएं।"

उक्त आदेश से यह देखा जाएगा कि दूसरे अपीलार्थियों ने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अन्य प्रत्यर्थीगणों के पक्ष में किए गए हस्तांतरण फर्जी थे और उसने वार्षिक कागजात में प्रविष्टियों को भी इस आशय से सही किया, जैसा कि पहले के कागजात में दर्ज है, जमींदार भूमि पर खेती नहीं कर रहा था। प्रत्यर्थीगणों ने उक्त आदेश को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में 1955 की रिट याचिका संख्या 274 दायर की। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने माना कि न तो अधिनियम की धारा 15 (3) और न ही केंद्रीय प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917 (1917 का सीपी अधिनियम संख्या ॥) की धारा 47 (1), जिसे इसके बाद भू-राजस्व अधिनियम कहा जाएगा, निस्तार अधिकारी को उक्त अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त खेती के तथ्य या अधिभोग अधिकारों के सन्दर्भ में पहले से किए गए आदेशों का अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप, इसने मौजा सोनपारइरी के मामले में निस्तार अधिकारी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही और 9 दिसंबर, 1954 के मौजा कचना के मामले में उसके द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने वाली दो रिट याचिकाओं की अनुमति दी और उसे आगामी कार्यवाही करने से रोक दिया गया जो विवादित में भूमि में याचिकाकर्ताओं के अधिभोग किरायेदारी अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए दो अपील करते हैं।

अपीलार्थीगण के विद्वान वकील श्री सेन ने हमारे सामने निम्नलिखित दो बिंदु उठाए: (1) भू-राजस्व अधिनियम की धारा 47 (1) के तहत निस्तार अधिकारी को पूर्व के वर्षों की प्रविष्टियों को गलती के आधार पर अगामी वर्ष में सही करने का अधिकार है; और (2) उक्त अधिकारी को अधिनियम की धारा 15 (3) के तहत उसके द्वारा धारा 40 में किए गए आदेश की समीक्षा का भी अधिकार है।

प्रत्यर्थीगणों के विद्वान वकील श्री पई ने शुरूआत में तर्क दिया कि अपील दो कारणों से उपशमित हो गई है, अर्थात्, (1) उच्च न्यायालय द्वारा दलीलें सुनने के बाद और फैसला सुनाए जाने से पहले दूसरे याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई और अपीलार्थीगण द्वारा उपशमन को रद्द करने के लिए दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया था, और (2) अपील में दूसरे प्रत्यर्थी की 7 मार्च, 1956 को मृत्यु हो गई और 28 जून, 1957 को उपशमन को रद्द करने और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन दायर किया गया था, वह आवेदन करने की समय सीमा से बाहर था। गुणावगुण के आधार पर, उसने उसमें उल्लेखित कारणों के लिए उच्च न्यायालय के फैसले को कायम रखने की मांग की। चूंकि हम अपीलार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए दो प्रश्नों पर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं, हम प्रत्यर्थीगणों के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

इस मामले में उठाए गए दो प्रश्न एक तरह से परस्पर जुड़े हुए हैं और उनका उत्तर अधिनियम और भूमि राजस्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के निर्माण पर निर्भर करता है। संबंधित प्रावधानों को पढ़ना सुविधाजनक होगा।

मध्य प्रदेश मालिकाना अधिकारों का उन्मूलन, (संपदा, महल, पृथक भूमि) अधिनियम, 1950 (1951 का अधिनियम 1)।

धारा 3. (2) उपधारा (1) के तहत एक अधिसूचना जारी होने के बाद, उस भूमि में या उस पर कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जाएगा, जिससे उक्त अधिसूचना संबंधित है, उत्तराधिकार के अलावा या किसी अनुदान या लिखित रूप में किए गए या किए गए अनुबंध के तहत या राज्य द्वारा या उसकी ओर से: इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार खेती के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि पर कोई नई मंजूरी नहीं दी जाएगी।

धारा 4. (2) उपधारा (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, मालिक अपने वासभूमि, गृहकृषि भूमि और मध्य प्रांत में भी उसके द्वारा खेती के तहत लाई गई वर्ष 1948-49 के पश्चात परन्तु निहित होने की तारीख से पूर्व भूमि पर कब्जा बरकरार रखेगा।

धारा 13. (1) दावे का विवरण प्राप्त होने पर, या यदि निर्धारित अविध के भीतर ऐसा कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो मुआवजा अधिकारी, ऐसी जांच करने जो वह उचित समझे और दावेदार को सुनवाई का अवसर देने के बाद दावेदार को देय मुआवजे की राशि तय करें और निर्धारित प्रपत्र में एक बयान में भूमि का विवरण, जो इस तरह के मुआवजे के भुगतान के बदले अधिग्रहण के बाद राज्य सरकार में निहित होगी और ऐसे अन्य विवरण जो निर्धारित किए जा सकते हैं को दर्ज करें।

धारा 15. (1) मुआवजा अधिकारी द्वारा धारा 13 के तहत दिए गए निर्णय या बनाए गए रिकॉर्ड से व्यथित कोई भी व्यक्ति उपायुक्त के पास अपील कर सकता है......

XXXXXX

(3) मुआवजा अधिकारी, उपायुक्त या निपटान आयुक्त, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा निर्धारित अविध के भीतर दायर किए गए आवेदन पर, अपने या कार्यालय में अपने पूर्ववर्तियों द्वारा पारित आदेश की समीक्षा कर सकते हैं और उसके सन्दर्भ में एेसा आदेश पारित कर सकते हैं जो वह उचित समझे।

XXXXXX

(1) कोई भी भूमि जो गृह-खेत में शामिल नहीं है, लेकिन कृषि वर्ष 1948-49 के बाद मालिक द्वारा खेती के तहत लाई गई है, उसे अधिभोगी किरायेदार के अधिकारों में रखा जाएगा।

- (2) नियम 1 के तहत अधिभोगी किरायेदार बनने वाला कोई भी व्यक्ति राज्य का किरायेदार होगा।
- (3) उपायुक्त भूमि पर किराया निर्धारित करेगा और यह मालिकाना अधिकार निहित होने की तारीख से देय होगा।

धारा 84. सिवाय इसके कि जहां इस अधिनियम के प्रावधान में अन्यथा प्रावधान किया गया है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत राजस्व अधिकारी के प्रत्येक निर्णय या आदेश से एक अपील इस तरह की जाएगी जैसे कि ऐसा निर्णय या आदेश ऐसे अधिकारी द्वारा केंद्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1917, या बरार भूमि राजस्व संहिता, 1928, जैसा भी मामला हो, के तहत पारित किया गया है।

केन्द्रीय प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1917

धारा 45. (1) बंदोबस्त के समय प्रत्येक महल या संपित के लिए अधिकारों का अभिलेख, बंदोबस्त अधिकारी द्वारा तैयार या संशोधित किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसे महलों या सम्पितयों के लिए प्रांतीय सरकार द्वारा इस संबंध में सशक्त राजस्व अधिकारी द्वारा, बंदोबस्त की प्रवर्तन की अविध के दौरान निर्देशित कर सकती है।

(2) महल के अधिकारों के अभिलेख में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होंगे:-

- (ए) खेवट या महल में मालिकाना अधिकार रखने वाले व्यक्तियों, जिसमें निम्नतर मालिक या पट्टेदार या कब्जेधारी बंधकदार शामिल हैं, प्रत्येक के हित की प्रकृति और सीमा को निर्दिष्ट करते हो, का विवरण
- (बी) खसरा या फील्ड-बुक जिसमें भूमि पर खेती करने वाले या कब्जा रखने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, अधिकार जिसके तहत धारित किया गया है और किराया, यदि कोई देय हो, दर्ज किया जाएगा;
- (सी) जमाबंदी या गांव में जमीन पर खेती करने वाले या कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की सूची

XXXXXXX

- (4) उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज ऐसे प्रपत्र में तैयार किए जाएंगे और इसमें ऐसे अतिरिक्त विवरण शामिल होंगे जो धारा 227 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। धार 46. इसमें रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर या उसके स्वयं के प्रस्ताव पर, उपायुक्त, इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों पर अधिकारों के अभिलेख में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित कर सकता है: -
- (ए) ऐसी प्रविष्टि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति इसे संशोधित कराना चाहते हैं; या

- (बी) कि एक सिविल मुकदमें में एक डिक्री द्वारा इसे गलत घोषित किया गया है: या
- (सी) कि, सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश पर या राजस्व अधिकारी के आदेश पर आधारित होने के कारण, यह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं है; या

XXXXXX

धारा 47. (1) उप-आयुक्त, धारा 227 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक महल के लिए सालाना या इतने लंबे अंतराल पर, जो निर्धारित किया जा सके, धारा 45, उप-धारा (2), खंड (बी), (सी) और (डी) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक संशोधित सेट तैयार कराएगा और इस प्रकार तैयार किए गए दस्तावेजों को "वार्षिक कागजात" कहा जाएगा।

(2) उपायुक्त धारा 227 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी भी भूमि के स्वामित्व अधिकार और हितों के संबंध में लगे सभी आरोपों और सभी लेनदेन को प्रभावित करने वाले सभी आरोपों को दर्ज कराएगा।

अधिनियम की योजना जहां तक यह वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक है, को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है : किसी सम्पत्ति के संबंध में अधिनियम की धारा 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करने पर, ऐसी संपत्ति में सभी स्वामित्व अधिकार राज्य में निहित हैं। मुआवजा अधिकारी, मालिक द्वारा किए गए दावे पर, उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित जांच करने के बाद, उसे देय मुआवजे की राशि और राज्य में निहित भूमि का विवरण तय करता है। लेकिन अधिनियम अपने कुल परिचालन से मालिक के कुछ हितों को बचाता है : इनमें से एक मध्य प्रांतों की भूमि है जिसे मालिक द्वारा कृषि वर्ष 1948-49 के बाद, लेकिन निहितीकरण की तारीख से पहले खेती के तहत लाया गया था: (देखें अधिनियम की धारा 4(2))

अधिनियम की धारा 40(1) के तहत, ऐसी भूमि अधिभोगी किरायेदार के अधिकारों में उसके पास होगी; उप-धारा (2) के तहत इसके बाद वह राज्य का किरायेदार बन जाता है; आैर उप-धारा (3) के तहत उपायुक्त भूमि पर किराया निर्धारित करेगा और यह मालिकाना अधिकार निहित होने की तिथि से देय होगा। धारा 84 पीड़ित पक्ष को उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध निर्धारित प्राधिकारी के पास अपील करने का अधिकार प्रदान करती है। अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो उपायुक्त को उसके द्वारा उक्त उपधारा के तहत दिए गए आदेश की समीक्षा करने के लिए अधिकृत करता हो और, इसलिए, उसके द्वारा दिया गया आदेश ,अपील के अधीन,

भूमियों के संबंध में इस आधार पर किराया निर्धारित करने का आदेश कि मालिक एक अधिभोगी किरायेदार था, अंतिम हो गया था। यदि ऐसा है, तो निस्तार अधिकारी, जो कि, दूसरे अपीलकर्ता के पास

अंतिम हो जाता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि उपाय्क्त द्वारा प्रश्नगत

मौजा सोनपाईरी के संबंध में दिए गए आदेश को फिर से खोलने या मौजा कचना के संबंध में उसके द्वारा किए गए पहले के आदेश की समीक्षा करने के लिए कार्यवाही शुरू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्याेकि उक्त आदेश अंतिम हो गए थे और उनकी समीक्षा के लिए अधिनियम के तहत कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनियम की धारा 15(3) ऐसे शक्ति प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 15(3) के तहत, संबंधित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 13 के तहत उसके द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा कर सकता है। अधिनियम की धारा 13 मुआवजा अधिकारी द्वारा दावेदार को देय मुआवजे की राशि तय करने और राज्य में निहित होने वाली भूमि का विवरण निर्धारित प्रपत्र में एक बयान में दर्ज करने के आदेश से संबंधित है। न ही धारा 13 ओर न ही धारा 15(3) की, अधिनियम की धारा 40 के तहत उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के संदर्भ में कोई प्रासंगिकता है।

यह निष्कर्ष अपीलों के निस्तारण के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन, जैसा कि भू-राजस्व अधिनियम की धारा 47 (1) के निर्माण पर एक तर्क दिया गया था और चूंकि इस पर उच्च न्यायालय ने विचार किया था, इसलिए हम इस पर भी चर्चा करेगें।

उक्त प्रावधान पर आधारित तर्क उसके द्वारा दिए गए आदेश की वैधता या अंतिमता से ज्यादा अधिनियम की धारा 40 के तहत निर्णय पर पहुंचने के लिए उपायुक्त के पास उपलब्ध साक्ष्य की प्रकृति के लिए अधिक प्रासंगिक है। प्रश्न, जिसका उपायुक्त को धारा के तहत आवश्यक निहितार्थ द्वारा निर्णय लेना होगा, यह है कि क्या मालिक ने कृषि वर्ष 1948-49 के बाद और राज्य में संपत्ति के निहित होने से पहले भूमि पर खेती की है। सबसे महत्वपूर्ण सबूतों में से एक जो उसके पास उपलब्ध होगा, वह भू-राजस्व अधिनियम की धारा 47 के तहत तैयार किए गए वार्षिक कागजात हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि पहले तैयार किए गए वार्षिक कागजात में यह दिखाया गया था कि मालिक 1948-49 के बाद संबंधित भूमि पर खेती कर रहा था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धारा 47 (1) के तहत, उपायुक्त वर्ष 1952 और 1954 में उक्त प्रविष्टि को ठीक कर सकता है जैसा कि वह करना चाहता है, ताकि इस आशय की प्रविष्टि की जा सके कि 1949 और जांच की तारीख के बीच मालिक भूमि में खेती नही कर रहा था। यह तर्क, यदि हम ऐसा कह सकते हैं, भू-राजस्व अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के कार्यकाल और दायरे के विपरीत है। उप-धारा 45, 46 और 47 के तहत वे प्रावधान जिनके बारे में हमने पहले निष्कर्ष निकाला है, निर्धारित प्रक्रिया इस प्रकार है: अधिकारों के अभिलेख में खेवट, खसरा, जमाबंदी और अन्य कागजात शामिल होंगे; और वे धारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से तैयार किए जाते हैं। इसमें रुचि रखने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर या उसकी स्वयं की प्रेरणा से, उपायुक्त, निर्दिष्ट आधारों पर अधिकारों के अभिलेख में

कोई भी प्रविष्टि संशोधित कर सकता है, अर्थात्, कि ऐसी प्रविष्टि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति इसे संशोधित कराना चाहते हैं, कि एक सिविल मुकदमें में डिक्री द्वारा इसे गलत घोषित किया गया है, कि सिविल न्यायालय की डिक्री या आदेश पर या राजस्व अधिकारी के आदेश पर आधारित होने के कारण, यह ऐसी डिक्री या आदेश के अनुसार नहीं है; आैर इस पर आधारित होने के कारण ऐसी डिक्री या आदेश को बाद में अपील, पूनरीक्षण या समीक्षा पर बदल दिया गया है। यह देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा खेती के तथ्य के संबंध में पिछले वर्ष के खसरा या जमाबंदी में गलती भू-राजस्व अधिनियम की धारा 46 के तहत संशोधन का आधार नहीं है। धारा 47 उपायुक्त को भू-राजस्व अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (2) के खंड (बी), (सी) और (डी) में उल्लिखित दस्तावेजों का एक संशोधित सेट सालाना या ऐसे निर्धारित लंबे अंतराल पर तैयार करने का अधिकार देती है और इस प्रकार तैयार किए गए दस्तावेज़ "वार्षिक कागजात" कहलाएंगे। भू-राजस्व अधिनियम की धारा 227 के तहत बनाये गये नियम केन्द्रीय प्रांत भूमि अभिलेख निर्देशिका, खण्ड 1, पी.पी. 13-16 के अध्याय ।।। में है। खसरा और जमाबंदी तैयार करने से संबंधित नियम पटवारी को निर्देश देते हैं कि वह स्थानीय जांच और के बाद होने वाले ऐसे बदलावों को सालाना दर्ज वास्तविक निरीक्षण करे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिकारों के अभिलेख में खेवट, खसरा, जमाबंदी आदि शामिल होते हैं और जब तक इसे दोबारा संशोधित नहीं किया जाता है तब तक यह क्षेत्र बना रहेगा। उसमें प्रविष्टियों को केवल भू-राजस्व अधिनियम की धारा 46 में उल्लिखित आधारों पर संशोधित किया जा सकता है। धारा 47 के प्रावधानों की तुलना, यदि धारा 46 के प्रावधानों से की जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि उल्लेखित धारा पर्यवेक्षण घटनाओं के आधार पर बाद के परिवर्तनों को दर्ज करके उक्त दस्तावेजों को अद्यतन रखने का इरादा रखती है। वार्षिक पत्रों का दायरा केवल एक फसली की शुरुआत में मौके पर निरीक्षण के आधार पर मौजूदा तथ्यों को दर्ज करना और वर्ष समाप्त होने के बाद वर्ष के दौरान होने वाले परिवर्तनों को दर्ज करना है। यह वार्षिक पत्रों का, पिछले वार्षिक पत्रों में अन्यथा की गई प्रविष्टियों, जिस तारीख को वे दर्ज की गई है, की जांच करने और सत्यता पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।

उक्त धारा मंगलू बनाम राजस्य बोर्ड, आई.एल.आर. 1954 नाग. 143, 146 मामले में नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ की न्यायिक जांच के दायरे में आई। उस मामले में तथ्य यह थे कि गैंदू की मृत्यु पर, जो मौजा मिटया का किरायेदार था, के भतीजे और उसकी विधवा द्वारा किए गए एक आवेदन पर, उनके नाम भू-अभिलेख सहायक अधीक्षक द्वारा भूमि के संयुक्त किरायेदारों के रूप में वार्षिक कागजात में दर्ज किए गए थे; इसके बाद विधवा ने वार्षिक कागजात से याचिकाकर्ता का नाम हटाने के लिए भू-अभिलेख अधीक्षक को आवेदन दिया और उसका आवेदन स्वीकार किया गया; अपील में, अतिरिक्त उपायुक्त ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने

से इन्कार कर दिया कि भू-अभिलेख सहायक अधीक्षक का प्रारंभिक आदेश उनके द्वारा अपनी कार्यकारी क्षमता में पारित किया गया था और इस प्रकार भू-अभिलेख अधीक्षक अपनी कार्यकारी क्षमता में इसे संशोधित करने में सक्षम थे; राजस्व बोर्ड में की गई दूसरी अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया; और उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि राजस्व बोर्ड के निर्णय ने केन्द्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1917 की धारा 47(1) सपठित धारा 33(2)(सी) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। उस संदर्भ में, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने भू-राजस्व अधिनियम की धारा 47(1) के दायरे और कथित अधिनियम की धारा 227 के तहत बनाए गए नियमों पर विचार किया और पाया किः

"जैसा कि हमने अधिनियम की धारा 47 (1) और इसे नियंत्रित करने वाले नियमों को पढ़ा है, हमारी राय है कि ये प्रावधान केवल वार्षिक कागजात तैयार करने से संबंधित हैं, न कि यदि प्रविष्टियाँ गलत पाई जाती हैं तो उन्हें सुधारने से संबंधित हैं। वे केवल उन प्रावधानों को सक्षम कर रहे हैं जो वार्षिक कागजात की तैयारी में की गई गलतियों को सुधारने या किसी भी अनियमितता को दूर करने के लिए राजस्व अधिकारियों की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते हैं। न तो वार्षिक कागजात और न ही संशोधित प्रविष्टियाँ किसी भी पक्ष के स्वामित्व या निहित

स्वार्थ के किसी भी प्रश्न को प्रभावित करती हैं। इस संबंध में राजस्व अधिकारी की शक्ति किसी व्यक्ति के अपने निजी दस्तावेजों को सही करने के अबाधित अधिकार के समान है, जिस पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है जिसका अधिकार या हित इससे प्रभावित नहीं होता है।"

विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त अनुच्छेद में परस्पर विरोधी विचार शामिल हैं जो एक-दूसरे से असंगत हैं - इसका पहला भाग प्रविष्टियों को सही करने के अधिकार से इनकार करता है और दूसरा भाग ऐसे सुधार की अनुमित देता है। हम अनुच्छेद की इस व्याख्या को स्वीकार नहीं कर सकते।

विद्वान न्यायाधीश प्रश्न के दो पहलुओं पर विचार कर रहे थे: पहला वार्षिक कागजात की तैयारी का दायरा और दूसरा यह कि क्या उनमें गलतियों को सुधारने से पीड़ित व्यक्ति को कार्रवाई का कारण मिलता है। सबसे पहले उन्होंने यह कहकर उत्तर दिया कि भूमि राजस्व अधिनियम

की धारा 47(1) और उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए नियम केवल वार्षिक कागजात तैयार करने से संबंधित हैं, न कि यदि प्रविष्टियाँ गलत पाई जाती हैं तो उनके सुधार से और बाद में, कि यह इससे प्रभावित होने वाले पक्ष के अधिकार से संबंधित है। धारा 47(1) के दायरे के संबंध मे की गई टिप्पणियाँ पूर्व के निर्णय में पृष्ठ सं. 145 पर किये गये विवेचन से स्पष्ट हो जाती है। धारा 47 के प्रावधानों और वार्षिक पत्रों की तैयारी को नियमित करने वाले अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लेख करने के बाद, विद्वान न्यायाधीशों ने पाया कि-

"यह आम तौर पर कृषि वर्ष की शुरुआत में किया जाएगा, जो अधिनियम की धारा 2(1) के तहत, जून के पहले दिन से शुरू होता है। कृषि वर्ष के दौरान प्रविष्टियों में कोई बदलाव पर विचार नहीं किया जाता है और उस अविध के दौरान होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से वर्ष समाप्त होने के बाद दर्ज किये जाते हैं। इसलिए, भू-अभिलेख अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई और अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा अनुमोदित करने का, अधिनियम की धारा 47(1) के तहत तैयार किये गये वार्षिक पत्रों का कोई संदर्भ नहीं है और हमें इसका नियमन करने वाले कानून का कोई अन्य प्रावधान इंगित नहीं किया गया है।"

खण्ड पीठ ने कहा कि वार्षिक पत्रों में की गई गलत प्रविष्टियों को सही करने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि उनका दायरा बहुत सीमित है। उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने फैसले में इस दृष्टिकोण का

अनुसरण किया जो अब अपील के अधीन है। पूर्ण पीठ ने निम्नलिखित शब्दों में खण्ड पीठ के दृष्टिकोण की पुष्टि की:

"...... केन्द्रीय प्रांत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 47(1) वार्षिक पत्रों में केवल उन्हीं परिवर्तनों को दर्ज करने पर विचार करती है जो कृषि वर्ष के दौरान होते हैं। इसलिए वह धारा, गलती के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार के मामले का समावेश नहीं करती है"

हम इस दृष्टिकोण से पूर्णतया सहमत हैं। यह इस प्रकार है कि निस्तार अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 40 के तहत पूर्व में बंद किए गए मामले को उक्त प्रविष्टियों को सही करने की दृष्टि से पुनः खोलने की कोई अधिकारिता नहीं है। इसलिए, हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से सहमत हैं।

परिणामस्वरूप, अपीलें निष्फल हो जाती हैं और सःशुल्क खारिज की जाती हैं। एक ही सुनवाई का शुल्क।

अपीलें खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक देवेन्द्र दिक्सित, (न्यायिक अधिकारी)द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः-यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।